

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/08/2023 को संपन्न 484वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गणपति इण्डस्ट्रीयल प्राइवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-उरला, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2537)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 434514/2023, दिनांक 24/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 175/1, 175/2, 175/3, 175/4 एवं 180/1, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-उरला, तहसील व जिला-रायपुर प्लॉट नं. 65-66, कुल क्षेत्रफल-1.29 हेक्टेयर में रेगुलार्इजेशन ऑफ

रि-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (एंगल, चैनल, फ्लैट आदि) क्षमता-25,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, स्टील फर्नीचर क्षमता-2,500 नग प्रतिवर्ष, कुलर क्षमता-500 नग प्रतिवर्ष, हॉस्पिटल फर्नीचर क्षमता-5,000 नग प्रतिवर्ष, एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट क्षमता-2,000 नग प्रतिवर्ष एवं स्टील फैब्रीकेशन क्षमता-500 नग प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखिल आहूजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (एंगल, चैनल, फ्लैट आदि) क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष, स्टील फर्नीचर क्षमता-2,500 नग प्रतिवर्ष, कुलर क्षमता-500 नग प्रतिवर्ष, हॉस्पिटल फर्नीचर क्षमता-5,000 नग प्रतिवर्ष, एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट क्षमता-2,000 नग प्रतिवर्ष एवं स्टील फैब्रीकेशन क्षमता-500 नग प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 15/05/2023 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/12/2023 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- समीपस्थ सरोरा 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 5.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.1 कि.मी. दूर है। खारून नदी 7.2 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भूमि संबंधी विवरण - भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की गई है, जो कि अपठनीय है। अतः समिति का मत है कि भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

| S.No. | Land use | Area (in SQM) |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1. | Rolling Area | 2,322 |
| 2. | Fabrication Area | 1,161 |
| 3. | Finished Goods Aea | 903 |
| 4. | Raw Material Area | 709.50 |
| 5. | Greenbelt Area | 5,160 |
| 6. | Office | 258 |
| 7. | Parking Area | 516 |
| 8. | Road Area | 1,125.30 |
| 9. | Open Area | 745.20 |
| Total | | 12,900 |

5. रॉ-मटेरियल –

| S.No | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode of Transport |
|------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1. | Billets / Ingots | 26,300 | Open Market | By road |

Material Balance

| Input | Quantity (TPA) | Output | (TPA) |
|--------------|----------------|------------------|---------------|
| Billets | 26,300 | Rerolled Product | 25,000 |
| | | Mill Scale | 700 |
| | | End Cutting | 600 |
| Total | 26,300 | Total | 26,300 |

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

| S. No. | Particular | Proposed |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| 1. | Unit | Regularization of Re-heating Rolling Mill |
| 2. | Products | Re-rolled products (Furniture, Angle, Channel, Flat etc.) – 25,000 TPA |
| Other Fabrication Products | | |
| 3. | Steel Furniture | 2,500 No.s / Year |
| 4. | Cooler | 500 No.s / Year |
| 5. | Hospital Furniture | 5,000 No.s / Year |
| 6. | Agriculture equipments | 2,000 No.s / Year |
| 7. | Steel Fabrication | 500 No.s / Year |

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि-हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित रि-हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

| S.No. | Waste | Quantity | Management |
|-------|----------------------|---------------|---|
| 1. | Mill Scale | 700 TPA | Sold to near by Steel Industry |
| 2. | End Cutting | 600 TPA | Sold to near by Steel Industry |
| 3. | Used Oil from DG Set | 1.00 KL/annum | Used as lubrication in our own industry |

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – परियोजना हेतु कुल 14 घनमीटर प्रतिदिन (मेकअप वॉटर कूलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेषन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता (15 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 15/01/2024 तक के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।
 - भू-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।
 - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना बताया गया है।
 - रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
10. विद्युत आपूर्ति स्रोत – परियोजना हेतु कुल 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.51 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,275 नग पौधों रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2023 से 31/05/2023 तक किया गया है।
13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- iii. Project proponent shall submit the readable copy of land document.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- vi. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- vii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- viii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).
- ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

- xi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xiii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स सत्यम स्टील, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-2, प्लॉट नं. 99, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2540)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 434455/2023, दिनांक 28/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-2, प्लॉट नं. 99, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-1.687 हेक्टेयर में रोलिंग मिल विथ इण्डक्शन ड्यूरेन्स एण्ड सी.सी.एम. विथ हॉट चार्जिंग क्षमता-59,500 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 54.58 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौतम पटेल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन रेगुलाईजेशन के स्थान पर क्षमता विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी ऑफिस मेमोरेण्डम्स के तहत टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था, परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स रतुसरिया इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 643 एवं 644-ए, सेक्टर बी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2538)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 434691/2023, दिनांक 27/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-उरला, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लॉट नं. 643 एवं 644-ए, कुल क्षेत्रफल - 0.809 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखिल आहूजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 29/05/2018 को रि-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/05/2029 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी उरला 550 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 6.2 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.3 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लीज डीड का विवरण – सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर द्वारा कुल क्षेत्रफल – 0.8094 हेक्टेयर हेतु लीज मेसर्स रतुसरिया इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई है। लीज 70 वर्ष अर्थात् दिनांक 17/05/2018 से 11/04/2088 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1. | Rolling Mill Area | 1,214.49 | 15 |
| 2. | Cooling Bed Area | 647.73 | 8.0 |
| 3. | Raw Material Area | 566.76 | 7.0 |
| 4. | Finished Goods Area | 404.83 | 5.0 |
| 5. | Coal Shed | 242.89 | 3.0 |
| 6. | Parking | 202.41 | 2.5 |
| 7. | Green Belt | 3,238.66 | 40 |
| 8. | Office | 80.96 | 1.0 |
| 9. | Store & Panel Room | 161.93 | 2.0 |
| 10. | Road Area | 1,012.08 | 12.5 |
| 11. | Open Area | 323.91 | 4.0 |
| Total | | 8,096.65 | 100 |

5. रॉ-मटेरियल -

| S.No | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode of Transport |
|------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1. | Billets/Ingots | 31,500 | Open Market | By road |

Material Balance

| Input | Quantity (TPA) | Output | (TPA) |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Billets | 31,500 | Re-rolled Steel Product | 30,000 |
| | | Mill Scale | 800 |
| | | End Cutting | 700 |
| Total | 31,500 | Total | 31,500 |

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी -

| S. No. | Particular | Proposed |
|--------|------------|---|
| 1. | Unit | Regularization of Re-heating Rolling Mill |
| 2. | Products | Re-rolled Steel products- 30,000 TPA |

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि-हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित रि-हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

| S.No. | Waste | Quantity | Management |
|-------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Mill Scale | 800 TPA | Sold to near by Steel Industry |
| 2. | End Cutting | 700 TPA | Sold to near by Steel Industry |
| 3. | Used Oil from DG Set | 0.1 KL/annum | Sold to Authorized Vendors |

9. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं स्रोत - परियोजना हेतु कुल 7 घनमीटर प्रतिदिन (मेकअप वॉटर कूलिंग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेडिंग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
- भू-जल उपयोग प्रबंधन - परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

• **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.32 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 800 नग पौधों रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।


12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- v. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- vi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- vii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xi. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.



- xvii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री नरेश सेन), ग्राम-दोंदेकला, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2107)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 80596/2022, दिनांक 13/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/301646/2023, दिनांक 27/06/2023 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-दोंदेकला, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 129/1, 129/2 एवं 130, कुल क्षेत्रफल-2.004 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-32,250 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 35,250 टन प्रतिवर्ष करते हुये टी.ओ.आर. में संशोधन किया जाना है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2266, दिनांक 13/02/2023 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/06/2023 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में उत्खनन क्षमता 32,250 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 35,250 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार -

| Amendment Required | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| S.No. | Refrence of Approved Tor | Description as per Approved Tor | Description as per Proposal | Remarks |
| 1 | Tor Letter No. 2266 / S.C.A.C.C.G. / Mine / 2107 Nawa Raipur Atal Nagar Dated 31/02/2023 | Production Qauntity is 32,250 Ton Per Year | Production Qauntity is 35,250 Ton Per Year | Typographical Mistake During Online so the Correct |

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष राम कदम, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु आवेदन में त्रुटिवश उत्खनन क्षमता 32,250 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया था, जिसके कारण जारी टी.ओ.आर. में उत्खनन क्षमता 32,250 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उत्खनन क्षमता 35,250 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वास्तव में अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित खदान की उत्खनन क्षमता 35,250 टन प्रतिवर्ष है। इस हेतु फॉर्म-3, संशोधित फॉर्म-1 एवं संशोधित प्री-फिजिबीलिटी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः जारी टी.ओ.आर. में उत्खनन क्षमता 32,250 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 35,250 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2266, दिनांक 13/02/2023 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में "उत्खनन क्षमता 32,250 टन के स्थान पर 35,250 टन प्रतिवर्ष" किये जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2266, दिनांक 13/02/2023 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स धनसुली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री कैलाश बडवानी), ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2306)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417837/2023, दिनांक 11/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 17/02/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/06/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 897, कुल क्षेत्रफल-1.352 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,750 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स सेन्ट्रल सीमेंट इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सरोरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2539)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 434867 / 2023, दिनांक 28/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत ग्राम-सरोरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811, कुल क्षेत्रफल-3.095 हेक्टेयर में स्टेड अलोन सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट क्षमता - 150 टन प्रतिदिन (4,500 टन प्रतिमाह) से बढ़ाकर 1,000 टन प्रतिदिन (30,000 टन प्रतिमाह) के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेन्द्र रॉय, जनरल मैनेजर एवं मेसर्स एसीरिज इनव्हायरोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ की ओर से पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्री शशिभूषण सिन्हा एवं श्री अमर सिंह यादव, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण -

- पूर्व में परियोजना को खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811, प.ह.क्रमांक 05, ग्राम-सरोरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, सीमेंट प्लांट (ऑर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट) उत्पादन क्षमता-4,500 टन प्रतिमाह हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 24/05/2010 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर, से सीमेंट प्लांट (पोर्टलैण्ड स्लैग/पोर्टलैण्ड पोझोलोना सीमेंट) क्षमता-54,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 24/02/2019 को जारी किया गया, जिसकी वैधता दिनांक 31/12/2023 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है

कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी ग्राम-सरोरा 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तिल्दा 6.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.6 कि.मी. दूर है। खरून नदी 7.4 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 5.7 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – सीमेंट प्लांट निर्माण हेतु ग्राम पंचायत सरोरा का दिनांक 28/09/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. भू-स्वामित्व – भूमि मेसर्स सेन्ट्रल सीमेंट इन्डस्ट्रीज एवं पार्टनर श्री जयंतीलाल पटेल के नाम पर है। पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

| S.No. | Land use | Existing Area (in SQM) | Proposed Area (in SQM) |
|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Shed and Facilities Area | 4,300 | 4,300 |
| 2. | Office & Rest Rooms Area | 900 | 900 |
| 3. | Green Belt & Plantation Area | 10,200 | 10,200 (33%) |
| 4. | Parking Area | 600 | 600 |
| 5. | Open Area | 14,900 | 14,900 |
| Total | | 30,900 | 30,900 |

7. रॉ-मटेरियल –

| Raw Material | Quantity | Source |
|----------------|-----------|---|
| Clinker | 500 TPD | Ultratech Cement, Wander Cement, Dalmia Cement, J P Cement, Ambuja Cement & JSW Cement Plants in Chhattisgarh, Rajasthan, MP & Odisha |
| Slag | 450 TPD | Jindal Steel, Bhilai Steel Plant & Local Sponge Iron Sponge Iron based Steel Plants |
| Gypsum | 50 TPD | Bi-Product gypsum & Mineral gypsum from Paradeep (Odisha), MP & Rajasthan |
| Water | 10 KLD | Ground water through borewells |
| Electric Power | 2,500 KVA | Chattisgarh Power Distribution Company through existing receipt facilities. DG Set for emergency Power: 250 KVA |

समिति का मत है कि वर्तमान स्थिति में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रॉ-मटेरियल की मात्रा संबंधी जानकारी /विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Unit | Cement Grinding Unit | Cement Grinding Unit |
| 2. | Cement Plant Capacity | 150 TPD | 1,000 TPD |

Storage Provision

| Material | Storage Capacity (MT) | Daily Requirement (In TPD) |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Clinker Storage Silo | 500 | 500 |
| SLAG | 495 | 495 |
| Gypsum Stockpile | 5 | 5 |

Cement Storage

| Plant Capacity (In TPD) | Storage Materials | Daily Production (In TPD) | Storage Days |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 1,000 | Cement | 1,000 | 2 |

| List of Main Equipments | | |
|-----------------------------|------|---------------|
| Equipment | Nos. | Capacity |
| Raw Material Hoppers | 4 | 4x200 T |
| Master Hoppers (RM Mixing) | 2 | 2x500 T |
| Weight Feeders | 6 | 6x75 T |
| Belt Conveyors | 2 | 2x75 TPH |
| Bucket Elevators | 2 | 2x75 TPH |
| Grinding Mills | 2 | 2x500 TPD |
| Dust Collectors (Bag House) | 5 | 360 Bags Each |
| Rotary Packing Machine | 1 | 10 Nozzles |
| Cement Storage Silo (RCC) | 2 | 2x1000 T |

9. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डस्ट कलेक्शन हेतु सीमेंट मिल, स्टोरेज साइलो, ट्रांसफर बेल्ट कन्वेयर एवं सीमेंट पैकिंग यूनिट में पृथक-पृथक बैग फिल्टर/बैग हाऊस की व्यवस्था है। पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना बताया गया है। कच्चे माल एवं उत्पाद को कव्हर शेड के भीतर पक्के प्लेटफॉर्म में रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। क्षमता विस्तार उपरांत भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाया जाना प्रस्तावित है।

| Equipment/ System | Existing | Post Expansion |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| Bag House in VSK | 2 (90 Bags) | 2 (90 Bags) |
| Bag House in RM Hopper Area | 1 (60 Bags) | 2 (216 Bags) |
| Bag House in Cement Mill | 1 (60 Bags) | 2 (216 Bags) |
| Bag House in Packing Area | 1 (60 Bags) | 2 (216 Bags) |

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| Water Sprinkling in RM Unloading Area | 1 | 1 |
| Height of Stacks | 10m | 30m |

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – सीमेंट संयंत्र से ठोस अपशिष्ट के रूप में बैग फिल्टर डस्ट जनित होता है, जिसे सिमेंट ग्राइंडिंग ईकाई में पुनः उपयोग किया जाता है। साथ ही जनित गारबेज को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यूस्ड बैटरिज एवं स्पेंट ऑयल को अधिकृत रिसाईक्लर को प्रदाय किया जाता है। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था संबंधी विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। क्षमता विस्तार उपरांत भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाया जाना प्रस्तावित है।
11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –
- **जल खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग प्रोसेस, डस्ट सप्रेसन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 15/01/2008 द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है, जो "The NOC is valid till the area remains under Safe Category on ground water resource consideration, or, for a period of five years from the date of issue of this letter, whichever is earlier." तक की अवधि हेतु वैध थी। समिति का मत है कि भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से जनित दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
 - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।
 - **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
12. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 2,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. के डी.जी. सेट का उपयोग होता है।

13. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.02 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है साथ ही वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) सीमेंट संयंत्र हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- iii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- vi. Project proponent shall submit the details of solid waste generation and management (Existing & Proposed).
- vii. Project proponent shall submit the Valid Central Ground Water Authority NOC for usage of water.
- viii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xi. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xiii. Project proponent shall submit details of ETP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit the proposal for increasing in Greenbelt area from 33% to 50% and details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स गंगोत्री लाईम्स प्राईवेट लिमिटेड (मटिया लाईम स्टोन माईन, डायरेक्टर— श्री अशोक साहू), ग्राम—मटिया, तहसील व जिला—रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2541)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 435023 / 2023, दिनांक 29 / 06 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम—मटिया, तहसील व जिला—रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404 एवं 405 / 1, कुल क्षेत्रफल—12.137 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—1,15,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25 / 08 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार साहू, डायरेक्टर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25 / 08 / 2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण

दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुतीकरण के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम-बुड़गहन, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2542)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432645/ 2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-बुड़गहन, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 177 एवं 178, कुल क्षेत्रफल-2.387 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-26,340 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक 177 एवं 178, कुल क्षेत्रफल-2.387 हेक्टेयर, क्षमता-45,135 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/03/2022 के लिए वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक वैध है।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1642/बी 3-3/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 31/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---------|--------------|
| 2017-18 | 14,290 |
| 2018-19 | 11,680 |
| 2019-20 | 24,615 |
| 2020-21 | 13,740 |
| 2021-22 | 16,020 |

समिति का मत है कि वर्ष 2021-22 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुड़गहन का दिनांक 02/05/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - स्कीम ऑफ क्वारी अलॉग विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1436/बी 3-3/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 30/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1244/तीन-6/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 29/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 9.278 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक, 1244/तीन-6/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 29/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि श्रीमती रमा अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. लीज का विवरण - लीज श्री आशीष कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2012 से 21/02/2022 तक की अवधि तक

वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2022 से 21/02/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/2040 बलौदाबाजार, दिनांक 23/08/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन कक्ष क्रमांक 24 से 15.44 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी बुड़गहन 1.3 कि.मी., स्कूल बुड़गहन 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल सुहेला 5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. एवं नहर 500 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,17,950 टन, माईनेबल रिजर्व 4,40,125 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,18,118 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,380 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम | 26,340 |
| द्वितीय | 26,340 |
| तृतीय | 26,340 |
| चतुर्थ | 26,340 |
| पंचम | 26,340 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है, पूर्व में 100 नग वृक्षारोपण किया गया था। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का

रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 5,380 वर्गमीटर है, जिसमें से 520 वर्गमीटर क्षेत्र 1 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1244/तीन-6/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 29/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 9.278 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बुड़गहन) का रकबा 2.387 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बुड़गहन) को मिलाकर कुल रकबा 11.665 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित

उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।


3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
 - v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स श्री हनुमान लोहा प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2543)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 433858/2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।



प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नं. 253(भाग), 254(भाग) एवं 256, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-उरला, तहसील व जिला-रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर में रेगुलार्इजेशन ऑफ रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स (एंगल, चैनल, प्लैट आदि) क्षमता-24,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2.91 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जे.पी. अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनिर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह मौर्य उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता-24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता 30/04/2028 तक है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
 - समीपस्थ आबादी बीरगांव 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल बीरगांव 1.9 कि.मी. एवं अस्पताल बीरगांव 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 4.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.28 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.27 कि.मी. एवं छोकरा नाला 700 मीटर दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. **लीज डीड का विवरण** – सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर द्वारा प्लॉट नं.-253(भाग), 254(भाग), क्षेत्रफल-0.52 एकड़ लीज मेसर्स श्री हनुमान लोहा प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 30/09/2014 से 14/09/2088 तक है। सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर द्वारा प्लॉट नं.-256, क्षेत्रफल-0.92 एकड़ लीज मेसर्स श्री हनुमान लोहा प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 30/09/2014 से 11/05/2094 तक है।
4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

| S.No. | Land use | Area (in Ha.) | Area (%) |
|-------|-----------------------|---------------|----------|
| 1. | Plant area | 0.2 | 35 |
| 2. | Storage Area | 0.02 | 3.0 |
| 3. | Internal roads | 0.06 | 10 |
| 4. | Greenbelt | 0.19 | 33 |
| 5. | Water reservoir & RWH | 0.03 | 5.0 |

| | | | |
|----|--------------|-------------|------------|
| 6. | Parking Area | 0.08 | 13.8 |
| | Total | 0.58 | 100 |

5. रॉ-मटेरियल –

| S.No. | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Distance From site (in Kms.) | Mode of Transport |
|-------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. | For Rolling Mill - 24,000 TPA | | | | |
| a) | Billets | 26,499 | Raipur | 50 Kms | By road (through covered trucks) |
| b) | Coal | 3,600 | SECL Bilaspur | Variable | By road (through covered trucks) |

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

| S. No. | Particular | Proposed |
|--------|------------|---------------------------------|
| 1. | Unit | Regularization of Rolling Mill |
| 2. | Products | Re-rolled products – 24,000 TPA |

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि-हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित रि-हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

| S.No. | Waste | Quantity | Management |
|-------|-------------|-----------|--|
| 1. | Mill Scale | 500 TPA | Mill Scale will be given to near by Ferro Alloys Manufacturing units or Casting units. |
| 2. | End Cutting | 1,999 TPA | Will be given to near by SMS unit |

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – परियोजना हेतु कुल 35 घनमीटर प्रतिदिन (मेकअप वॉटर कूलिंग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु सीएसआईडीसी से किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
- भू-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

• **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.19 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2023 से 31/05/2023 तक किया गया है।

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड

टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- iv. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- v. Project proponent shall submit the permission letter of CSIDC for usage of water.
- vi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.
- viii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).
- ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xiii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt

development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

- xviii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स सी.जी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र (फेस-2), ग्राम-बहेसर, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2544)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 435185/2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र (फेस-2), ग्राम-बहेसर, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 272/1, 262/1, 263, 273, 274/2, 277/1, 277/3, 277/4, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 289/7, 277/2, 272/2, 267/2, 289/6, 264/2, 276, 264/1, 274/1, 271/2, 290/1, 275, 277/6 एवं 289/1, कुल क्षेत्रफल-6.992 हेक्टेयर में रेगुलार्इजेशन ऑफ रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 53.15 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष अग्रवाल, डायरेक्टर एवं श्री सपन कुमार साहा, सी.ओ.ओ. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर निम्नानुसार तथ्य पाया गया:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Compliance of Hon'ble NGT order dated 19.08.2019 (published on 23.08.2019) in O.A. No. 1038 2018 - reg" के संबंध में दिनांक 31/10/2019 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है, जिसके पैरा "3. The mechanism has now been finalized by the Ministry (copy enclosed)."का उल्लेख है।

उक्त mechanism के बिंदु B (i) अनुसार Any project or activity specified in Category B1 will be appraised at the Central Level, if located in whole or in part within 5 km from the boundary of Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas. However, Category B2 projects shall be considered at state level stipulating Environmental Clearance conditions as applicable for the Category 'B1' project/activities. का उल्लेख है।

- The Ministry had issued Office Memorandum (OM) of even number dated 31st October 2019, and 30th December 2019 in compliance to the order of Hon'ble NGT in OA No. 1038/2018 dated 19th August, 2019 (published on 23rd August, 2019) pertaining to consideration of proposals for grant of Environment Clearance located in Critically Polluted Areas (CPAs) and Severely Polluted Areas (SPAs). Subsequently, vide OM dated 28th January 2021, the above mentioned OMs were kept under abeyance, in view of the Hon'ble Supreme Court order dated 22nd September, 2020 in the matter of Gujarat Chambers of Commerce and Industry vs Central Pollution Control Board & Anr.[Civil Appeal No. 3319-3321/2020], wherein a stay was imposed on the operation of the impugned order of the Hon'ble NGT mentioned above.
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2022 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है, जिसके पैरा 3 अनुसार "Hon'ble Supreme Court order dated 25th February 2022 the matter has been examined in the Ministry and it has been decided to lift the abeyance imposed vide O.M. dated 28th January, 2021 on the Ministry's OMs dated 31st October 2019, and 30th December 2019." है।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रेगुलैजेशन ऑफ रि-रोलड प्रोडक्ट्स क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी ऑफिस मेमोरेण्डम तथा माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में ऑनलाईन आवेदन किया जाना था। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन (गिनी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल्स), ग्राम-परसुलीडीह एवं बरोंदा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 2546)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/ 435032/ 2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित हॉस्पिटल ग्राम-परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम-बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4, 45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-38,652.16 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप एरिया-42,489.63 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 120 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण --

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:--

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रुपये के स्थान पर 120 करोड़ रुपये है। ऑनलाईन आवेदन के दौरान त्रुटिवश फार्म में 250 करोड़ रुपये का उल्लेख हो गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रोजेक्ट की लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है। अतः परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रुपये मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रुपये के स्थान पर 120 करोड़ रुपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी --

- निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। समिति का मत है कि निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू-स्वामित्व -- भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन के नाम पर है।

4. लेण्ड यूज स्टेटमेंट -- कुल क्षेत्रफल-38,652.16 वर्गमीटर में से सड़क मार्ग की चौड़ाई के कारण 845.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा।

| S.No. | Land use | Area (sq.m) | Percentage (%) |
|-------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Ground Coverage area | 11,342.30 | 30.00 |
| 2. | Internal roads and pathway | 16,721.60 | 44.23 |
| 3. | Open Parking area | 5,962.40 | 15.77 |
| 4. | Green Belt area | 3,780.80 | 10.00 |
| | Total | 37,807.52 | 100 |

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट --

| S.No. | Land use | Area (sq.m) |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 1. | Hospital Building | 27,755.21 |
| 2. | Nursing College | 2,482.48 |
| 3. | Hotel Block | 2,451.62 |
| 4. | Nursing Hostel | 1,416.17 |
| 5. | Doctors Apartment | 1,335.28 |
| 6. | Total Built-up Area (A) | 35,440.76 |

| | | |
|----|--------------------|------------------|
| 7. | Total Parking (B) | 7,048.87 |
| | Total (A+B) | 42,489.63 |

6. फ्लोर संबंधी विवरण –

| S.No. | Floor | Area in Sq.m | | | | | | Total Built-up area (A) | Total Parking (B) |
|-------|--|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | Hospital Building | Nursing college | Hotel block | Nursing hostel | Doctors apartment | | | |
| 1. | Basement – 2 (BUP – 1610.92 + Stack parking – 3042.68 Sq.m) | 1610.92 | -- | -- | -- | -- | 1610.92 | 3042.68 | |
| 2. | Basement – 1 (BUP – 1979.96 + Stack parking – 2496.53 Sq.m) | 1979.96 | -- | -- | -- | -- | 1979.96 | 2496.53 | |
| 3. | Ground floor (Parking) / Stilt floor | -- | 544.99 | 553.48 | -- | 411.19 | -- | 1509.66 | |
| 4. | Ground Floor | 3563.20 | -- | -- | 458.31 | -- | 4021.51 | | |
| 5. | Floor - 1 | 4214.81 | 663.72 | 676.71 | 320.06 | 333.82 | 6209.12 | | |
| 6. | Floor - 2 | 3740.34 | 454.69 | 437.27 | 318.90 | 333.82 | 5285.02 | | |
| 7. | Floor - 3 | 3654.85 | 454.69 | 445.88 | 318.90 | 333.82 | 5208.14 | | |
| 8. | Floor - 4 | 2984.74 | 454.69 | 445.88 | -- | 333.82 | 4219.13 | | |
| 9. | Floor - 5 | 2984.74 | 454.69 | 445.88 | -- | -- | 3885.31 | | |
| 10. | Floor - 6 | 3021.65 | -- | -- | -- | -- | 3021.65 | | |
| | Total | 27755.21 | 2482.48 | 2451.62 | 1416.17 | 1335.28 | 35440.76 | 7048.87 | |

7. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 3,000 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।
9. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Basement-1, Basement-2 एवं Ground floor में वाहनों के पार्किंग हेतु गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 354 Equivalent Car Space (ECS) की आवश्यकता होगी। उक्त हेतु 605 Equivalent Car Space (ECS) रखा जाना प्रस्तावित है।
12. वायु प्रदूषण नियंत्रण – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।
13. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन –

| S.N. | Waste | Quantity | Disposal |
|------|--------------------------|-------------------|---|
| 1. | Municipal Solid Waste | 1,192.5 Kg/day | The garbage will be segregated at source through collection bins into Bio-degradable waste and Non Bio-degradable waste. Plastic waste will |

| | | | |
|----|-------------------|-------------------|--|
| | | | be given to the waste recyclers and bio-degradable waste will be disposed to the Municipal corporation bins. Kitchen and food waste generated will be bio-composted within the project site premises and will be used as manure for greenbelt development. |
| 2. | Bio-medical waste | 187.5 Kg/day | Will be disposed as per Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules |
| 3. | Sludge from STP | 42.7 Kg/day | Stored in HDPE bags and will be used as manure /given to farmers. |
| 4. | Waste Oil | 100 Liter / Annum | Will be given to SPCB approved vendors. |

14. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन --

| Category | Quantity | Types of waste | Disposal |
|--------------|----------------------|---|--|
| Yellow | approx 108.75 kg/day | Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes. | Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility. |
| Red | approx 37.5 kg/day | Contaminated plastic wastes. | Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility. |
| White | approx 11.25 kg/day | Waste sharps including metals. | Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility. |
| Blue | approx 30 kg/day | Metallic body Implants and glasswares. | Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility. |
| Total | 187.5 kg/day | | |

15. अस्पताल में जनित होने वाले ई-वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

16. जल प्रबंधन व्यवस्था --

- जल खपत एवं स्रोत -- परियोजना हेतु कुल 497 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 228 घनमीटर प्रतिदिन, फलशिंग हेतु 129 घनमीटर प्रतिदिन,

किचन हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन, लैब हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, लाउण्ड्री हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर वाशिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन तथा फिल्टर/आर.ओ. बेक वॉश 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति नगर पालिका/भू-जल के माध्यम से की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति हेतु पाईप लाईन कनेक्शन के लिए जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति हेतु अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – कंस्ट्रक्शन फेज में दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशनल फेज में दूषित जल की मात्रा 427 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 2 नग 250 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत स्क्रीनिंग, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सीवेज कलेक्शन कम इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबीआर रिएक्टर, टव्यूब सेटलर, सर्ज टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज ड्राईंग बेड/स्लरी कलेक्शन टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर फ्लशिंग, वृक्षारोपण आदि हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष दूषित जल को नगर पालिका के ड्रेन में डिस्चार्ज किया जाएगा। समिति का मत है कि डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,505.18 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 13 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

17. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 4,500 के.डब्ल्यू.एच. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु 3,780.8 वर्गमीटर (10 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि

परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. ऊर्जा संरक्षण उपाय – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव-वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। कुल रूफ एरिया के एक तिहाई भाग में सोलर पैनल की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 12000 | 2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr. | 230 | Following activities at Proposed Land | |
| | | | Eco Park Nirman | 230 |
| | | | Total | 230 |

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु उपयुक्त प्रस्ताव (गणना सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईको पार्क निर्माण हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता के संबंध में संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन एवं सरपंच ग्राम पंचायत बरोदा तथा नगर निगम, रायपुर को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रुपये के स्थान पर 120 करोड़ रुपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित परियोजना के ले-आउट प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. अस्पताल में जनित होने वाले ई-वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. जल की आपूर्ति की अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
11. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (कम से कम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोंदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
12. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स माँ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.- श्री कमलेश कुमार गुप्ता), ग्राम-सिंगरोली, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2545)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 433314 / 2023, दिनांक 30 / 06 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सिंगरोली, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल-3.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-68,679 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25 / 08 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3:

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स टायंग सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अहमद रजा), ग्राम-टायंग, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1734)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220377 / 2021, दिनांक 16 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-टायंग, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 421, कुल क्षेत्रफल - 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अनगुनिया, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जैमुरा का दिनांक 09/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1055/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1054/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1054/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री अहमद रजा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 808/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-टायंग 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-टायंग 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 843 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 350 मीटर, न्यूनतम 280 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 396 मीटर, न्यूनतम 385 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 117 मीटर, न्यूनतम

113 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 47 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.14 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 40.91 | 2% | 0.82 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Tayang | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.32 |
| | | | Total | 0.82 |

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) **समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अंगुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./5527/2021/रायगढ़, दिनांक 21/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3.21 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 808/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत एवं नदी के पाट तथा पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2506/2023 रायगढ़ दिनांक 04/05/2023 से जारी

अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3.21 कि.मी. की दूरी पर है।

- एल.ओ.आई. श्री अहमद रजा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 808/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। जारी एल.ओ.आई. में "छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 7(1) के तहत रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 02 वर्ष की स्वीकृति के लिये निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है, जिसकी पूर्ति निर्धारित समयावधि में करने पर आपको सफल बोलीदार माना जायेगा" का उल्लेख है। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 48/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायगढ़ को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/05/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

- नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत जैमुरा से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरा क्रमांक 434 एवं 426/1 क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
- सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- नदी तट में 1,500 नग वृक्षारोपण करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:-

| विवरण | | प्रथम वर्ष (रूपये) | द्वितीय वर्ष (रूपये) | तृतीय वर्ष (रूपये) | चतुर्थ वर्ष (रूपये) | पंचम वर्ष (रूपये) |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (1,500 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 1,05,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 75,000 | - | - | - | - |
| | खाद हेतु राशि | 15,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि | 1,56,000 | 1,56,000 | 1,56,000 | 1,56,000 | 1,56,000 |
| कुल राशि = 10,23,000 | 3,51,000 | 1,68,000 | 1,68,000 | 1,68,000 | 1,68,000 |

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उक्त रेत खदान में जो सी.ई.आर. के तहत जो कार्य किया जायेगा, वो मेरे द्वारा पूर्ण किया जायेगा एवं सी.ई.आर. के तहत खसरा नंबर 434 एवं 426/1 कुल रकबा 1.24 हेक्टेयर एवं 0.279 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में जो वृक्षारोपण किया जायेगा, उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही उक्त सम्पूर्ण पेड़ का देख रेख व सेवा जतन मेरे द्वारा किया जावेगा।
7. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-टायंग) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित गिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट

Ali

(दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

- iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
- iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स टायंग सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अहमद रजा), खसरा क्रमांक 421, ग्राम-टायंग, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स पामगढ़ सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राहुल अग्रवाल), ग्राम-पामगढ़, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1733)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220373/2021, दिनांक 16/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-पामगढ़, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल - 4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 97,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अखिलेश कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पामगढ़ का दिनांक 11/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1051/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1050/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1050/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री राहुल अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-पामगढ़ 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-पामगढ़ 2 कि.मी. एवं अस्पताल खरसिया 29 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 324 मीटर, न्यूनतम 297 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 481 मीटर, न्यूनतम 480 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 99 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 97,600 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.15 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 66.18 | 2% | 1.33 | Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Pamgarh | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.30 |
| | | | Running Water Facility for Toilet | 0.25 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.28 |
| | | | Total | 1.33 |

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अंगुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./5253/2021 रायगढ़, दिनांक 07/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.83 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805/ख.लि. -3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 नग एवं पहुच मार्ग में 700 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट एवं पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के पाट एवं पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए तथा सी.ई.आर. मद की वृक्षारोपण कार्य हेतु निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम में जमा किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के पाट तथा पहुच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2499/2023 रायगढ़ दिनांक 04/05/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.83 कि.मी. की दूरी पर है।
2. एल.ओ.आई. श्री राहुल अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। जारी एल.ओ.आई. में "छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 7(1) के तहत रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 02 वर्ष की स्वीकृति के लिये निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है, जिसकी पूर्ति निर्धारित समयावधि में करने पर आपको सफल बोलीदार माना जायेगा" का उल्लेख है। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 50/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायगढ़ को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/05/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

3. नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत जैमुरा से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरा क्रमांक 45 क्षेत्रफल 1.457 हेक्टेयर है।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. नदी तट में 1,500 नग वृक्षारोपण करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:-

| विवरण | | प्रथम वर्ष (रूपये) | द्वितीय वर्ष (रूपये) | तृतीय वर्ष (रूपये) | चतुर्थ वर्ष (रूपये) | पंचम वर्ष (रूपये) |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (1,500 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 1,05,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 75,000 | — | — | — | — |
| | खाद हेतु राशि | 15,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | सिंचाई एवं रख-रेख हेतु राशि | 1,56,000 | 1,56,000 | 1,56,000 | 1,56,000 | 1,56,000 |
| कुल राशि = 10,23,000 | | 3,51,000 | 1,68,000 | 1,68,000 | 1,68,000 | 1,68,000 |

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उक्त रेत खदान में जो सी.ई.आर. के तहत जो कार्य किया जायेगा, वो मेरे द्वारा पूर्ण किया जायेगा एवं सी.ई.आर. के तहत खसरा नंबर 45 कुल रकबा 5.46 हेक्टेयर एवं 1.457 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में जो वृक्षारोपण किया जायेगा, उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही उक्त सम्पूर्ण पेड़ का देख रेख व सेवा जतन मेरे द्वारा किया जावेगा।
- सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
- रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैन्युअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- आवेदित खदान (ग्राम-पामगढ़) का रकबा 4.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

- i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पामगढ़ सेण्ड माईनिंग (प्रो. – श्री राहुल अग्रवाल), खसरा क्रमांक 01, ग्राम-पामगढ़, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 4.88 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 29,280 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स माँ आदिशक्ति स्टोन (प्रो.- श्री आनंद प्रसाद गुप्ता, बड़ाबनई आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम-बड़ाबनई, तहसील व जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2353)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 423515/ 2023, दिनांक 26/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बड़ाबनई, तहसील व जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 880/2, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-36,712 टन (14,120 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 09/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद प्रसाद गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़ाबनई का दिनांक 09/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 442/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 28/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 687/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 03/03/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 687/खनि.शा./2023, जशपुर, दिनांक 03/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. मेसर्स माँ आदि शक्ति स्टोन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 491/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 16/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 880/2 श्री देवलाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2022/4716 जशपुर, दिनांक 07/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बडाबनई 750 मीटर, स्कूल ग्राम-बडाबनई 1 कि.मी. एवं अस्पताल लोदाम 8.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21.7 कि.मी. दूर है। शंख नदी 240 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,12,000 टन (1,20,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,83,560 टन (70,600 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,65,204 टन (63,540 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,154 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार सेमी मेकेनाइज्ड विधि का भी उपयोग किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,929.2 घनमीटर है, ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग में 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र में संरक्षित कर रखा जाएगा एवं पुनः भराव हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम | 36,712 |
| द्वितीय | 36,712 |
| तृतीय | 36,712 |
| चतुर्थ | 36,712 |
| पंचम | 36,712 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 28,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,45,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000

रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,84,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,61,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,65,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 242.35 वर्गमीटर क्षेत्र को हॉल रोड, रैंप एवं टॉयलेट हेतु एवं 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन भण्डारित करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 26 | 2% | 0.52 | Following activities at, Govt. Primary School Village- Barabanai | |
| | | | Portable drinking water facility | 0.159 |
| | | | Plantation work | 0.364 |
| | | | Total | 0.523 |

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्दर निर्धारित राशि का उपयोग पर्यावरण के हित के लिए किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर क्षेत्र में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण करने एवं उन वृक्षों के रख रखाव इस प्रकार करेंगे जिससे रोपित 90 प्रतिशत से अधिक वृक्ष जीवित व स्वस्थ रहें। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. ऊपरी मिट्टी को भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का उपयोग अन्य कार्यों में न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) तहत निर्धारित राशि का उपयोग उसमें दिए गए कार्यों में ही खर्च करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य नियमानुसार अनुमति लेकर विस्फोटक लाइसेंस धारक तथा दक्ष ब्लास्टर द्वारा ही कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/2882 जशपुर दिनांक 11/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर है।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण के तहत (नीम, आम, महुआ आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 2,450 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई, रख-रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रुपये तथा अन्य कार्य के लिए राशि 3,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,37,450 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,980 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी. ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 687/खनि. शा./2023 जशपुर, दिनांक 03/03/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं। आवेदित खदान (ग्राम-बडाबनई) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स माँ आदिशक्ति स्टोन (प्रो.– श्री आनंद प्रसाद गुप्ता, बड़ाबनई आर्डिनरी स्टोन माईन) को ग्राम–बड़ाबनई, तहसील व जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 880/2 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–36,712 टन (14,120 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट–03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सुखरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री निर्मल कुमार साहू), ग्राम–सुखरी, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2003)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 268459/ 2022, दिनांक 27/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सुखरी, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 823/11, कुल क्षेत्रफल – 1.773 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 500 घनमीटर (ईट उत्पादन क्षमता 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निर्मल कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुखरी का दिनांक 12/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 508/ख.लि. – 2/2022 रायगढ़, दिनांक 23/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/635/खनिज/खलि.3/2022, अंबिकापुर,

दिनांक 30/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/636/खनिज/खलि. 3/2022 अंबिकापुर, दिनांक 30/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री जगरनाथ के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री निर्मल कुमार साहू के नाम पर है। जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/1399/ख.लि.1/खनिज/न.क्र.19/2020 अंबिकापुर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./817 अंबिकापुर, दिनांक 27/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-सुखरी 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल बनकीपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। घुनघुट्टा नदी 478 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 35,460 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 28,870 घनमीटर एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 27,426 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 650 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---------|----------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| प्रथम | 500 | 5,00,000 | षष्ठम | 500 | 5,00,000 |
| द्वितीय | 500 | 5,00,000 | सप्तम | 500 | 5,00,000 |
| तृतीय | 500 | 5,00,000 | अष्टम | 500 | 5,00,000 |
| चतुर्थ | 500 | 5,00,000 | नवम | 500 | 5,00,000 |
| पंचम | 500 | 5,00,000 | दशम | 500 | 5,00,000 |

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में लीज क्षेत्र के कुछ भाग में किल्ल एवं चिमनी स्थापित है। उनके द्वारा स्थापित किल्ल एवं चिमनी का स्थान परिवर्तन कर लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल आपूर्ति हेतु स्रोत एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 330 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 6,600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, जल छिड़काव एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,27,600 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,99,600 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 30 | 2% | 0.60 | Following activities at nearby, Village-Sukhari | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 2.98 |
| | | | Total | 2.98 |

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सुखरी के सहमति उपरांत सुखरी के पहुँच मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत सुखरी के पहुँच मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल एवं खसरा सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं जनित ऐश, रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तावित लीज क्षेत्र से निकटतम ईट भट्ठा की चिमनी की दूरी एवं समीपस्थ आबादी की दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. जिग-जैग किल्ल स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र एवं जिग-जैग किल्ल के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी 1.3 कि.मी. बताया गया है, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल अर्थ से मापन किये जाने पर निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी की दूरी 770 मीटर पाया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. जल आपूर्ति हेतु स्रोत एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. किल्ल एवं चिमनी के स्थान परिवर्तन के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. जिग-जैग पद्धति/वर्टिकल शॉफ्ट विधि या पाईप विधि (नैचुरल गैस) स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिग-जैग किल्ल के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावित लीज क्षेत्र से निकटतम ईट भट्ठा एवं आबादी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
11. ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं जनित ऐश, रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
14. सी.ई.आर. के अंतर्गत सुखरी के पहुँच मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल एवं खसरा सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 96/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/06/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला सरगुजा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला--सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1191/खनिज/खलि.1/2022 अम्बिकापुर दिनांक 30/11/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार "गौण खनिज मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी) उत्खनिपट्टा क्षेत्र से 800 मीटर की परिधि में आम/फलों का बगीचा स्थित नहीं है। साथ ही क्षेत्र से 1000 मीटर की परिधि में कोई भी खदान स्थित नहीं है। आबादी क्षेत्र की दूरी लगभग 830 मीटर है।" होना बताया गया है।

3. जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
4. स्थापित किल्न एवं चिमनी का स्थान परिवर्तन कर लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. जिग-जैग पद्धति/वर्टिकल शॉफ्ट विधि या पाईप विधि (नैचुरल गैस) स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही जिग-जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा 5 प्रतिशत होगी एवं जनित ऐश, रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग सड़क के रख-रखाव (Road Maintenance) में किया जाएगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
13. सी.ई.आर. के अंतर्गत सुखरी के पहुँच मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1032 एवं 1133 है।
14. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-


1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/635/खनिज/खलि.3/2022, अंबिकापुर, दिनांक 30/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-सुखरी) का क्षेत्रफल 1.773 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स सुखरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.- श्री निर्मल कुमार साहू) को ग्राम-सुखरी, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा के खसरा क्रमांक 823/11 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल-1.773 हेक्टेयर, क्षमता-500 घनमीटर (ईट उत्पादन क्षमता 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।


एजेन्डा आयटम क्रमांक-4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 474वीं एवं 475वीं बैठक क्रमशः दिनांक 13/07/2023 एवं 14/07/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 25/08/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(कलदियुस तिकी)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़


(डॉ. बी.पी. नोहारे)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स टायंग सेण्ड माईनिंग (प्रो.- श्री अहमद रजा) को खसरा क्रमांक 421, कुल क्षेत्रफल - 4.5 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-टायंग, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में माण्ड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत

उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस-पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 40.91 | 2% | 0.82 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Tayang | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.32 |
| | | | Total | 0.82 |

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका

उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
27. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
30. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
33. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में




किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.


मेसर्स पामगढ़ सेण्ड माईनिंग (प्रो.- श्री राहुल अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल - 4.88 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-पामगढ़, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में माण्ड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 29,280 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खंभों गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.88 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 29,280 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रीड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत

उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।



18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|--|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 66.18 | 2% | 1.33 | Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Pamgarh | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.30 |
| | | | Running Water Facility for Toilet | 0.25 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.28 |
| | | | Total | 1.33 |

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के

प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
27. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
30. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
33. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।



सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.



अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स मॉ आदिशक्ति स्टोन (प्रो.- श्री आनंद प्रसाद गुप्ता, बड़ाबनई आर्डिनरी स्टोन माईन) को खसरा क्रमांक 880/2, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, ग्राम-बड़ाबनई, तहसील व जिला-जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 36,712 टन (14,120 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 36,712 टन (14,120 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटेव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 26 | 2% | 0.52 | Following activities at, Govt. Primary School Village- Barabanai | |
| | | | Portable drinking water facility | 0.159 |
| | | | Plantation work | 0.364 |
| | | | Total | 0.523 |

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण के तहत (नीम, आम, महुआ आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 2,450 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई, रख-रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रुपये तथा अन्य कार्य के लिए राशि 3,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,37,450 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,980 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 800 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नग पौधों का रोपण (कुल 1,200 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।


24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स सुखरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.- श्री निर्मल कुमार साहू) को खसरा क्रमांक 823/11, ग्राम-सुखरी, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, कुल लीज क्षेत्र 1.773 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 500 घनमीटर (ईट उत्पादन क्षमता 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.773 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 500 घनमीटर (ईट उत्पादन क्षमता 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र,

भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।


9. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
10. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।
11. फलाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फलाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी, फलाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 30 | 2% | 0.60 | Following activities at nearby, | |




| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------|
| | | | Village-Sukhari | |
| | | | Pavitra | Van |
| | | | Nirman | 2.98 |
| | | | Total | 2.98 |


17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सुखरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1032 एवं 1133, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 330 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 350 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।



24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
28. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
29. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
30. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
32. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.